2006:CGHC:5378

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़)

रिट याचिका संख्या 293/2003

याचिकाकर्ता : चंद्रमा राम, पिता राम सूरत राम, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी–कोरिया कोलियारी क्षेत्र, जिला कोरिया (छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, पंजीकृत कार्यालय– सीपत रोड, बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिलासपुर।
2. मुख्य महाप्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, जिला कोरिया (छ. ग.)
3. खान प्रबंधक, कोरिया कोलियारी, साउथ ईस्टर्न कोल–फील्ड्स लिमिटेड, जिला कोरिया (छग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अन्य उपयुक्त रिट या एकाधिक रिट, निर्देश या एकाधिक निर्देश, आदेश या एकाधिक आदेश जारी करने के लिए रिट याचिका:</u>

उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

1. याचिकाकर्ताओं के विवरण:

   वाद शीर्षक में उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार।

2. उत्तरवादीगण के विवरण :

   वाद शीर्षक में उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार।

2006:CGHC:5378

**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका संख्या 293/2003**

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता | : | चन्द्रमा राम |
| | | विरुद्ध |
| उत्तरवादी | : | साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य |

**एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थिति: | : | याचिकाकर्ता के लिए श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता और श्री अमित वर्मा, अधिवक्ता। |
| | : | उत्तरवादीगण के लिए श्री योगेश पांडे, अधिवक्ता। |

मौखिक आदेश

(20 फरवरी, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया:

1. याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 1.4.1965 को कोरिया कोलियारी में मजदूर श्रेणी में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के समय अपनी जन्म तिथि को 5 वीं कक्षा के परीक्षा प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी/1) द्वारा समर्थित कर दिनांक 2.3.1945 होना घोषित किया था। पूरे सेवा अभिलेखों में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि लगातार 2.3.1945 के रूप में दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 10

साल की अवधि के बाद, खान महानिदेशक (सुरक्षा) द्वारा जारी माइनिंग सरदार सरदार के प्रमाण पत्र में, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि त्रुटिपूर्ण रीती से दिनांक 15.7.1942 के रूप में दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण/प्राधिकरण को अभ्यावेदन दाखिल करके जन्मतिथि 15.7.1942 दर्ज किए जाने को चुनौती दी है। खान महानिदेशक (सुरक्षा) को दिनांक 3.8.2000 और 18.4.2001 (अनुलग्नक पी/7 और पी/8) के दो अभ्यावेदन इस आशय के दिए गए थे कि सरदार के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि को प्रतिबिंबित नहीं करती है, जो कि अंतिम है। उत्तरवादीगण/प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार में दिए गए उपबंध के अनुसार विवाद को आयु अवधारण समिति को भेज दिया। आयु अवधारण समिति याचिकाकर्ता के सभी सेवा अभिलेखों की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 17.5.2000 (अनुलग्नक पी/12) के कार्यालय आदेश के अनुसार 1.4.1947 थी। इससे पहले खान अधीक्षक/प्रबंधक, कोलियारी को संबोधित आदेश दिनांक 29.4/2.5.2002 (अनुलग्नक पी/15) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को दिनांक 15.7.2002 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने का दिनांक 31.7.2002 से प्रभावी नोटिस जारी किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. बाद में दिनांक 6.5.2002 (अनुलग्नक पी/16) के आदेश के माध्यम से आयु अवधारण समिति द्वारा आयु के अवधारण के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर पहले के सेवानिवृत्ति सूचना को रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात् आक्षेपित आदेश दिनांक 19.8.2002 (अनुलग्नक पी/7) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को पुनः सेवानिवृत्ति सूचना जारी की गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि माइनिंग सरदार के प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, अतः याचिकाकर्ता को दिनांक

19.8.2002 से ही सेवानिवृत्त किया जा रहा है। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि मामला आयु अवधारण समिति को भेजा गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि पर विवाद था।

3. निस्संदेह, आयु अवधारण समिति द्वारा अवधारित आयु दोनों पक्षों पर बाध्यकारी थी और समिति ने अपने आदेश दिनांक 17.5.2000 के द्वारा याचिकाकर्ता की आयु 1.4.1947 अवधारित की थी। यह स्पष्ट नहीं है कि जब आयु अवधारण समिति के निर्णय के आधार पर पहले के सेवानिवृत्ति नोटिस को रद्द कर दिया गया था, तो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जिन्होंने उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से सेवानिवृत्त करने का आक्षेपित आदेश दिनांक 19.8.2002 जारी करने के लिए प्रेरित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर इस न्यायालय से यह निर्देश जारी करने की मांग की है कि उत्तरवादीगण याचिकाकर्ता को सेवा में पुनर्स्थापित करने का निर्देश जारी करे और उसकी जन्म तिथि को दिनांक 1.4.1947 विचारित करते हुए उसे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सभी परिणामी लाभों के साथ कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान करें। यह निवेदन आयु अवधारण समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर आधारित है। आयु अवधारण समिति का निष्कर्ष राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के अनुसार दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है। उत्तरवादीगण ने किसी भी कार्यवाही में आयु अवधारण समिति द्वारा निर्धारित जन्म तिथि की प्रामाणिकता को प्रश्नाधीन नहीं किया है या मामले को फिर से आयु अवधारण समिति को नहीं भेजा है। जहाँ तक वर्तमान प्रकरण का संबंध है, आयु अवधारण समिति द्वारा निर्धारित जन्म तिथि अर्थात 1.4.1947, जिसे उत्तरवादीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, अंतिम है।

5. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका स्वीकार की जाती है और उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे आयु अवधारण समिति द्वारा दर्ज की गई जन्म तिथि अर्थात 1.4.1947 को प्रभावी करें और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/ प्रस्तुत होने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर सभी परिणामी लाभ प्रदान करें। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

6. प्रकरण समाप्त करने से पूर्व, मैं उत्तरवादीगण के आचरण का उल्लेख करना चाहता हूँ। उत्तरवादीगण ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.1.2006, जिसमें उत्तरवादीगण को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार, जो आयु अवधारण समिति की स्थिति के साथ–साथ पक्ष पर इसके बाध्यकारी प्रभाव के विषय में बताता है, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, को छिपाने का प्रयास किया है। उत्तरवादीगण ने जानबूझकर और इच्छापूर्वक जानकारी छिपाई है ताकि प्रकरण का उचित निर्णय न हो सके। उत्तरवादीगण का आचरण घृणित और निंदनीय है। तथापि, प्रकरण के तथ्यों में, जब आयु अवधारण समिति, जो स्वयं उत्तरवादियों द्वारा गठित की गई है और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते में यथाउपबधिंत अनुसार एक वैधानिक निकाय है, ने याचिकाकर्ता की आयु अर्थात जन्मतिथि दिनांक 1.4.1947 अवधारित की है, अतः याचिकाकर्ता के प्रकरण में यह अंतिम है। नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
**सतीश के. अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur